न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालीयर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्र.क्र. निगरानी - 5078/2018/उज्जैन/भू.रा.

1. बहादुरसिंह पिता भंवरसिंहजी राजपूत
2. हाकमबाई पति भंवरसिंहजी राजपूत

निवासीगण ग्राम घोंसला, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन मध्यप्रदेश ....आवेदक

विरूद्ध

विष्णुवनश्री सिविल टेक प्रायवेट लिमिटेड़ द्वारा आर्थोराईज्ड अमित व्यास, निवासी 103, रघुकुल अपार्टमेंट क्षपणक मार्ग फ्रिगंज उज्जैन ....अनावेदक

विषयः– न्यायालय श्रीमान अनुविाागीय अधिकारी महोदय राजस्व महिदपुर द्वारा राजस्व अपील क्रं. 7/17–18 में पारित आदेश दिनांक 07/07/2018 के विरूद्ध निगरानी अर्ज अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नानुसार निगरानी अर्ज प्रस्तुत है।

1:– यह कि प्रक्ररण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में नामांत्रण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसका प्रकरण क्रं. 19 जाँच 14/15 होकर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नामांत्रण आवेदन पत्र दिनांक 27/09/2017 को निरस्त कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महिदपुर के समक्ष राजस्व अपील प्रस्तुत की थी उक्त राजस्व अपील अनावेदक द्वारा विलंब से प्रस्तुत किये जाने के कारण धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया था जिसमें अनावेदक द्वारा अपील को विलंब से प्रस्ततु करने का कारण दर्शाते हुवे अपील प्रस्तुत की अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 के आवेदन पत्र के निराकरण हेतु आवेदक गण को सुचन पत्र प्रसारित कर धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण इस निगरानी ग्रस्त आवेदन करते हुवे अपील को समयाअवधि मे मानते हुवे धारा 5 के आवेदन को मान्य कर विलंब को क्षमा कर निगरानी ग्रस्त आदेश दिनांक 07/07/18 पारित किया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी अर्ज निम्न आधारो पर निम्न समया अवधि में योग्य न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रही है।

XXiX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5078/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	